न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
(The Judiciary: Supreme court and high court)

- संघात्मक राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। क्योंकि देश में न्याय के प्रशासन की इकहरी व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है व राज्यों के ~~अंग कर्के~~ उच्च न्यायालय उसके अधीन है। उच्च न्यायालय सौजन्यतावश राज्यों के शासन के तृतीय अंग कहे जाते हैं। वास्तव में वे केंद्रीय शासन के तृतीय अंग के उपभाग है। उच्च न्यायालयों का संगठन व क्षेत्राधिकार संघीय विषय है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुहर के आदेशानुसार उच्च न्यायालयों के ~~संगठन~~ व प्रधान व अन्य न्यायाधिशों की नियुकति करता है। तथा उन्हें एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय में प्रधान व अन्य न्यायधिशों की नियुकति करता है।

सर्वोच्च न्यायालय
(Supreme court)

देश की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal court) को 1950 में उसका स्तर ऊँचा करके सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी गयी है।

गठन (Composition) → संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की थी। 1956 में सहायक न्यायधीशों की संख्या 30 हो गयी। यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायधीश सहित सभी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ~~[illegible]~~ व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं